



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65134

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7512 वर्ष 2026

रीतु गौतम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अजय कुमार पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार पांडे और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ए.जी.ए. सिंह की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आवेदक रीतु गौतम की ओर से दायर की गई है, जिसमें उनसे वाद अपराध संख्या 74/2025 में, धारा 316(3), 336(3), 338, 340(2), 61(2) बीएनएस और धारा 65, 66, 66-बी (सूचना प्रौद्योगिकी

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिनियम) के तहत, पुलिस स्टेशन साइबर अपराध, जिला बुलंदशहर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी बताया गया है कि सह-आरोपी रश्मी शर्मा को पहले ही इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 18.2.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 482 संख्या 1373/2026 में पारित आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। आवेदक ने आगे यह भी बताया है कि आवेदक की भूमिका सह-आरोपी रश्मी शर्मा की भूमिका से बहुत कम है क्योंकि आवेदक को खाते की विभिन्न प्रविष्टियों की जाँच करने का कार्य सौंपा गया था। आवेदक, जो 31.1.2026 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या में लंबितता के कारण, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है।

5. सह-आरोपी रश्मी शर्मा को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 18.2.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत याचिका धारा 482 संख्या 1373/2026 में पारित आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक की भूमिका सह-आरोपी रश्मी शर्मा की भूमिका से बहुत कम है, क्योंकि आवेदक को खाते की विभिन्न प्रविष्टियों की जाँच करने का कार्य सौंपा गया था। आवेदक 31.1.2026 से जेल में बंद है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. सभी तथ्यों, प्रकृति और अभिलेख से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, और मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत याचिका को स्वीकार किया जाता है।

7. उपर्युक्त मामले में अपराध के लिए अभियोक्ता **रीतु गौतम** को 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हों:

(i) अभियोक्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) अभियोक्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं ट्रायल न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

(iv) आवेदक को यह वचन देना होगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा, जब गवाह ट्रायल न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर ट्रायल न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की खूबियों पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

26 मार्च, 2026

कुमार मनीष

(न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”